समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

Collectorate:West Champaran, Bettiah

Ph No. : 06254-242534 (Off.)
Ph No. : 06254-232535 (Res.)/242576 (Fax)

E-Mail : dm-bettiah.bih@nic.in
Web : http://westchamparan.bih.nic.in

(जिला गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–2835 दिनांक 04.05.2021 के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1262/गो०, दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कई तरह के प्रतिबंध लगाये गये थे। विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि स्थिति में अपेक्षित सुधार हो रहा है और नये पोजिटिव मामलों तथा टेस्ट पोजिटिविटी अनुपात में भी गिरावट आई है। परन्तु व्यापक तौर पर संक्रमण की स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है।

अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि एवं सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–2884 दिनांक 13.05.2021 एवं संशोधित आदेश ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020–2887 दिनांक 13.05.2021 के आलोक में **मैं, कुन्दन कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन दिनांक 15.05.2021 के आगे दिनांक 25.05.2021 तक आंशिक संशोधन के साथ समुदाय के जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत करता हूँ कि :–**

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद – आवश्यक सेवाओं यथा–जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे।

2. दूकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
   अपवाद :–
   i. बैंकिंग, बीमा एवं ए०टी०एम० संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ।
   ii. औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
   iii. सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
   iv. E-Commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
   v. कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
   vi. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
   vii. टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं सं संबंधित गतिविधियाँ।
   viii. पेट्रोल पम्प, एल०पी०जी०, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
   ix. आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/माँस–मछली/दूध/पी०डी०एस० की दूकानें (शहरी क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक)। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष, पश्चिम चम्पारण जिला अपने–अपने क्षेत्रों में फल एवं सब्जी की दूकानों को Scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दूकानें न रहें और भीड़ न हो।
   x. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
   xi. निजी सुरक्षा सेवाएँ।

xii. ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम–घूम कर बिक्री सहित।

xiii. निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 06:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाह्न तक खुली रह सकती है।

xiv. लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।

अन्य सभी प्रतिष्ठान Work From Home के आधार पर कार्य कर सकते है।

3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ – सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
4. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

अपवाद :–

i. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करनेवालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

ii. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।

iii. अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।

iv. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।

v. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

vi. वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।

vii. कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

viii. अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन

ix. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक आने–जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा–179(1) के अन्तर्गत जुर्माना किया जा सकेगा।

6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।
7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए In- Room Dining के साथ अनुमान्य होगा।
8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूल/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरफ बंद रहेंगे।
11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन–सरकारी एवं निजी–पर रोक रहेगी।
12. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, **किन्तु इनमें, डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी।** विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को कम–से–कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चमपारण/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नरकटियागंज/बगहा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चनपटिया/रामनगर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, पश्चिम चम्पारण को निदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–51–60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ह०–

जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक–1345/गो०, दिनांक 14/05/2021

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण जिला/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी, कोविड–19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/सहायक समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.5.21

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

जिलाधिकारी ए... ...
13 MAY 2021
प0चम्पारण, बेतिया

आदेश

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– पटना, दिनांक– 13 मई, 2021

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिएविभागीय आदेश संख्या–2633 दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में विभागीय आदेश संख्या–40 (वि0स0को0) दिनांक 18.04.2021 तथा विभागीय आदेश संख्या–44/वि0स0को0 दिनांक 28.04.2021 तथा आदेश सं0 2835 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए। दिनांक 04.05.2021 के आदेश में विभागीय आदेश संख्या–46/वि0स0को0 दिनांक 05.05.2021 तथा आदेश सं0 2870 दिनांक 08.05.2021 से कतिपय संशोधन किये गये हैं।

- गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं0–40-3/2020-DM-I(A), दिनांक– 29.04.2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Implementation Framework for Community containment/ large containment Areas के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए। पत्र में यह निदेश है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है।
- वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा।
- इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आम जन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुँचाना उचित होगा।
- विभागीय आदेश 2835 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबन्धों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि स्थिति में अपेक्षित सुधार हो रहा है और नये पोजिटिव मामलों तथा टेस्ट पोजिटिविटी अनुपात में भी गिरावट आई है। परन्तु व्यापक तौर पर संक्रमण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।
- इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में सभी जिला पदाधिकारी/जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य एवं परामर्श प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबन्धों को कुछ अतिरिक्त समय तक लागू रखने के सम्बन्ध में अपना मंतव्य दिया।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 13.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में आदेश संख्या–2835 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद :– आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालययथावत कार्य करेंगे।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

2. दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद :–

(क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान,गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ ।
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य(Construction Works)।
(घ) E-commerceसे जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
(ङ०) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
(झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस–मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें पूर्व में अनुमान्यप्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न के स्थान पर **शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे मध्याह्न तक ही खुलेंगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी scatterकरेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो।**
(ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
(ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
(ठ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम–घूम कर बिक्री सहित।
(ड) **निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक खुली रह सकती हैं।**
(ढ) **लीची, आम इत्यादि फलों की पैंकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।**

[illegible]

एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

4 सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

अपवाद :–

(क) पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

(ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।

(ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।

(घ) वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।

(ड०) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

(च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

(छ) कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

(ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।

(झ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजितWalk-in Interviewमें शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों कोWalk-in Interviewके आयोजन स्थल तक आने–जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।

... take home ... [illegible] ... In-room Dining ... अनुमान्य होगा।

8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

9. सभी प्रकार केसामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल–कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिकएवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे।

10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन – सरकारी एवं निजी – पर रोक रहेगी।

12. **विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे**, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम–से–कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी :–

(क) सभी जिलाधिकारी अपने–अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे।

(ख) **सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देख–रेख में लगे attendant के खाने के लिए सामुदायिक किचेन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति / संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के attendant के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इसमें सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ–सफाई, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा।**

(ग) रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे।

(घ) सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वाराकिया जाएगा।

सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्तकंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नोटः–पूर्व के निर्गत आदेशों में दिनांक 13.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किए गए संशोधनों को सुलभता हेतु bold में दर्शाया गया है।

13/5/21

(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020–[illegible] पटना, दिनांक–13 मई, 2021

प्रतिलिपिः–सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020–[illegible] पटना, दिनांक–13 मई, 2021

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020–2884 पटना, दिनांक–13 मई, 2021

प्रतिलिपिः–गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 2887 पटना, दिनांक– 13 मई, 2021

राज्य मे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–2884, दिनांक–13.05.2021 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत हैं।

एतद् द्वारा उक्त आदेश में निम्न संशोधन किए जाते हैं –

1. आदेश की कंडिका 1 के अपवाद में राज्य सरकार के निम्न कार्यालयों को शामिल किया जाता है –

   i. कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक–2835, दिनांक– 04.05.2021 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 2887 पटना, दिनांक 13 मई, 2021

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 2887 पटना, दिनांक 13 मई, 2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 2887 पटना, दिनांक 13 मई, 2021

प्रतिलिपिः– गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।